



Completed Project



TIRUPATI NILAY
Sikar Road



ROYAL PLATINUM
Jagatpura



SAMRIDDI
Jagatpura



मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत
आपका घर आपकी पहचान



2 और 3 BHK अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स,

“अब शहर में लिजिए अपने सपनों का घर”

2.67 लाख तक होम लोन पर सब्सिडी का लाभ

On Going
Affordable Project



UNNATI VIHAR
Near Road No. 14 VKIA, Sikar Road



आपका घर आपकी पहचान

For Site Visit & Booking +91 98287 54666

GANPATI HOMES

Corporate Office:- 405, Corporate Inn, Gali No. 2, Near Axis Bank, Raja Park, Jaipur

Branch Office:-

Shop No.1, Income Tax Colony, Near Honda Showroom, Model Town Jaipur

F-114, Venkateswar Tower, B-13, Central Spine, Vidhyadhar Nagar, Jaipur

Website:- www.dndgroup.in



For Booking cab/taxi
call at: 0141-333 4000
Mob: 8742040404

Architects: Vivacious Designs
+91-8890074740
+91-9351156229



RERA REGISTRATION No.: RAJ/P/2018/786

RERA WEBSITE: <http://www.rera-rajasthan.in>

अब सपना होगा पुरा,
जब घर होगा अपना।

	सेलेबल एरिया	फ्लैट की राशि	पंजीकरण राशि
2 BHK (EWS)	459 वर्ग फुट	Rs. 11,71,000	Rs. 51000
2 BHK (LIG)	651 वर्ग फुट	Rs. 16,51,000	Rs. 71000
3 BHK (LIG)	911 वर्ग फुट	Rs. 23,00,000	Rs. 100000

3 BHK Layout Plan (LIG)

CARPET AREA	BALCONY	BUILT UP AREA	SALABLE AREA (APPROX.)
646 SFT.	91 SFT.	725 SFT.	911 SFT.



2 BHK Layout Plan (EWS)

CARPET AREA	BALCONY	BUILT UP AREA	SALABLE AREA (APPROX.)
322 SFT.	25 SFT.	377 SFT.	459 SFT.



2 BHK Layout Plan (LIG)

CARPET AREA	BALCONY	BUILT UP AREA	SALABLE AREA (APPROX.)
462 SFT.	62 SFT.	520 SFT.	651 SFT.



1. आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जावेंगे।
2. आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/फर्म के पते पर लिखित में देगा।
3. आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिए विकासकर्ता/फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
4. आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों/के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
5. आवेदन राशि चैक/डी. डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। चैक गणपति होम्स कलेक्शन के नाम से दैय होगा। किसी प्रकार का कोई नकद में लेने देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता/फर्मद्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधी को भुगतान ना करें
6. इस योजना मे कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित की जावेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जावेगा या उनके खाते में (खाते की पूरी जानकारी उपलब्ध होने पर) सीधा जमा करवा दिया जायेगा।
7. इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अलावा किसी ब्रोकर/सेल्स प्रतिनिधी द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेन्ट लागू नहीं होगा।
8. लेट पर दी जाने वाली सब्सिडी आवंटी की प्रोफाइल एवं योग्यता पर निर्भर करती है जो सीधे ही भारत सरकार द्वारा आवंटी के खाते में जमा की जावेगी। इसमें विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. भारत सरकार/ राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पॉलिसी, एक्ट नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पडने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी वजन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
10. आवेदक को आवंटित आवास पर राज्य सरकार के तत्कालिक नियमानुसार रजिस्ट्री शुल्क विक्रय मूल्य के अतिरिक्त देय होगा।
11. समस्त लागू कर (जीएसटी इत्यादि) अतिरिक्त देय होंगे। (राज्य-केन्द्र सरकार)
12. परियोजना से सम्बन्धित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा समिति सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिट), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत लैट का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/फर्म द्वारा निर्धारित राशि करवानी होगी, जो कि सोसायटी का गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
13. विकासकर्ता द्वारा निकाली गई लाटरी में जिस तल पर जो भी आवास आवंटित होगा, मुझे स्वीकार होगा।
14. आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं के स्रोतों से लैट की सम्पूर्ण देय राशि विकासकर्ता/फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथी के अनुसार जमा करानी होगी।
15. योजना से संबन्धित किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

प्रथम आवेदक

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)

हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

सब्सिडी के लिए आवेदक की पात्रता

1. आवेदक/संयुक्त आवेदक महिला होना आवश्यक है।
2. आवेदक की आयु आवेदन की तिथी को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. आवेदक के पास स्वयं के, पत्नी/पति के और आश्रित सदस्य (अविवाहित बच्चों सहित) के नाम राजस्थान के किसी भी शहरी क्षेत्र में मकान या प्लॉट ना हो जिसका शपथ पत्र आवेदन के साथ देना होगा।
4. भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार वार्षिक आय (पति/पत्नी/आश्रितों की आय) के आधार पर सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जायेगी।

1. वरियता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक जमा कराई गई आवेदन राशि लौटाने का लिखित में वेध कारणा सहित आवेदन करता है, तो उसे मूल आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेंगी।
2. वरियता लॉटरी के आयोजन के पश्चात आवेदन राशि लौटाने का निवेदन करने पर जमा राशि का 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेंगी।
3. लॉटरी के पश्चात आवेदन राशि का मांग पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन राशि की 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेंगी।
4. यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण योग्य नहीं होने पर आवेदक की जमा राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी।
5. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आरक्षित किये जाने के पश्चात/तालिका 'क' में वर्णित देय राशि जमा कराने हेतु आवेदनकर्ता को रजिस्टर्ड डाक/कोरियर/इमेल द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त राशि 30 दिवस में जमा करानी होगी।
6. यदि आवंटी द्वारा मांग पत्र में दर्शायी गई राशि 3 माह तक जमा नहीं कराये जाने पर देय राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर आरक्षण स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा जमा राशि का 30 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क व देय ब्याज काट कर शेष राशि लौटाई जा सकेंगी।
7. संयुक्त आवेदकों में से यदि कोई एक आवेदक उक्त योजना में लैट नहीं लेना चाहता हैं तो विकासकर्ता/फर्म द्वारा उक्त आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए प्रथम आवेदक द्वारा दिये गये पते पर विकासकर्ता/फर्म के नियमानुसार रिफण्ड राशि लौटा दी जावेगी।
8. विक्रय इकरारनामों के पश्चात् इकरारनामों की शर्तों के अनुरूप पैसा रिफंड किया जायेगा।

प्रथम आवेदक

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)

हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

लोन एवं सब्सिडी के प्रावधान

1. फ्लैट लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र जारी किये जावेंगे।
2. भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई) और निम्न आय वर्ग (स्क्) के लाभार्थी को बैंक से ऋण प्राप्ति पर 20 वर्षों की अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के दौरान, इसमें जो भी कम हो, के लिए भारत सरकार के नियमानुसार सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
3. आर्थिक दृष्टि से कमजोर/अल्प आय वर्ग के सफल आवेदकों को अनुदान बैंको के माध्यम से भारत सरकार की प्रधानमंत्री योजना की CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) योजना के अन्तर्गत देय होगा। ऋण के ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी।
4. ऋण आधारित सब्सिडी सीधे ऋणी के लोन खाते/बैंक के नियमानुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित की जायेगी।
5. बैंक की शर्तों के अनुसार आवेदक को पात्रता के अनुसार ऋण मिल सकता है।

तलिका 'क'

आवेदक द्वारा देय भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	अनुसूची	देय राशि
1.	पंजीयन राशि (EWS) (2BHK)	41,000
2.	पंजीयन राशि (LIG) (2BHK)	51,000
3.	पंजीयन राशि (LIG) (3BHK)	71,000
4.	लॉटरी द्वारा आवंटन होने पर 30 दिन के भीतर देय राशि	कुल आवंटन मुल्य का 10 प्रतिशत (पंजीयन राशि कम करने के बाद)

'शेष राशि भवन निर्माण से जुड़ी हुई किश्तों में देय होगी।

प्रथम आवेदक

द्वितीय आवेदक (यदि कोई हो)

हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

आवेदन फार्म

प्रोजेक्ट का नाम :....., जयपुर

प्लैट की श्रेणी राशि

	प्रथम आवेदक	द्वितीय आवेदक
1. आवेदक का नाम	:
2. पिता/पति का नाम	:
3. जन्म तिथि	:
4. पत्राचार का पता	:
5. स्थायी पता	:
6. दूरभाष/मोबाईल नम्बर	:
7. ई-मेल	:
8. व्यवसाय का स्वरूप	:
9. सेवारत कर्मचारी का विवरण (यदि कोई हो) संस्था का नाम	:
10. पैन कार्ड संख्या	:
11. पहचान पत्र (आधार कार्ड संख्या)	:
12. पंजीयन राशि का विवरण बैंक का नाम एवं शाखा	: राशि
चैक/ड्राट संख्या	: दिनांक
13. आवेदक के खाते का प्रकार	: चालू खाता/बचत खाता	

बैंक का नाम :..... खाता संख्या.....
 बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड :..... शहर का नाम.....

14. आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें :
1. आवेदन शुल्क का बैंक ड्राट/चैक 2. आवेदक के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज (आधार कार्ड)
15. मेरे द्वारा योजना की भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेजात का भली भाँति परीक्षण कर लिया गया है, मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ।

प्रथम आवेदक

द्वितीय आवेदक(यदि कोई हो)

हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी

हस्ताक्षर मय अंगूठा निशानी